Result Mitra Daily Magazine

UP मदरसा बोर्ड एक्ट

✓ हालिया संदर्भ :

- भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय पीठ ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 की संवैधानिकता को बरकरार रखा।
- इससे पूर्व इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस अधिनियम को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को उल्लंघन करता है।

✓ UP मदरसा अधिनियम :

- यह एक्ट मदरसा शिक्षा के लिए कानूनी ढांचा उपलब्ध करवाता है, जहां NCERT के पाठ्यक्रम के अलावा धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है।
- इस एक्ट के तहत UP मदरसा शिक्षा बोर्ड बनाया गया, जिसमें मुख्यतः मुस्लिम सदस्य शामिल है।
- एक्ट के धारा–9 में पाठ्यक्रम तैयार करने एवं कक्षा 10 के समकक्ष यानि 'मौलवी' से लेकर स्नातकोत्तर यानि 'फाज़िल' तक के लिए परीक्षाएं आयोजित करने का प्रावधान है।

✓ अधिनियम को चुनौती :

- चुनौती याचिका में कहा गया कि यह एक्ट संविधान के अनुच्छेद–14 (कानून के समक्ष समानता), अनुच्छेद–15 (धर्म, जाति, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव निषेध) एवं अनुच्छेद–21A(6–14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा) का उल्लंघन करता है।
- इसके अलावा याचिका में कहा गया कि यह एक्ट गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने में भी विफल रहा है।

Result Mitra

✓ रद्द करने के आधार :

- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यत: तीन आधारों पर मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था :

1. धर्मनिरपेक्षता :–

- HC ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों के अनुसार, 'धर्मनिरपेक्षता' का अर्थ है–"राज्य द्वारा बिना किसी विशेष धर्म, धार्मिक संप्रदाय या निर्धारण के साथ किसी का पक्ष लिए सभी धर्मों और धार्मिक संप्रदायों के बीच समान व्यवहार को बनाए रखना।"
- HC ने कहा मदरसा के छात्र के लिए प्रत्येक वर्ग में इस्लाम धर्म का अध्ययन करना अनिवार्य है, साथ ही आधुनिक शिक्षा या तो अनुपस्थित है या वैकल्पिक है।

2. शिक्षा का अधिकार :

- HC ने कहा कि राज्य का यह दायित्व है कि वह अनुच्छेद–21A का पालन करे और साथ ही यह भी कहा कि राज्य आधुनिक विषयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से इंकार करके इस अनुच्छेद (21A) का उल्लंघन नहीं कर सकती है।

3. केंद्रीय कानून से टकराव :

- HC ने यह भी माना कि मदरसा बोर्ड को डिग्री प्रदान करने वाले इस एक्ट के प्रावधान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक्ट, 1956 के प्रावधानों से टकराव रखते हैं।
- 1956 के एक्ट में वर्णित है कि केवल विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थान ही 'डिग्री' प्रदान कर सकते हैं और कोई भी अन्य व्यक्ति/प्राधिकरण, जिसमें मदरसा और मदरसा बोर्ड भी शामिल है, 'डिग्री' नहीं दे सकता।

✓ सुप्रीम कोर्ट का तर्क :

- 2002 के एक मामले (अरुणा रॉय vs भारत संघ) में SC ने माना कि धार्मिक पूजा के लिए अनिवार्य उपस्थिति, संविधान के अनुच्छेद–28 के तहत मान्यता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थान में अनुमति योग्य नहीं है, लेकिन धार्मिक शिक्षा अथवा 'धर्मों के बारे में शिक्षा देना' इस सीमा से बाहर है।
- SC के अनुसार, धर्मों के बारे में शिक्षा देना सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ाने के उद्देश्य के लिए हो सकता है।
- SC ने यह भी कहा कि मदरसा बोर्ड एक्ट के तहत नियम बनाने की शक्ति राज्य को प्राप्त है, ऐसे में राज्य को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि शिक्षा धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का हो।

Result Mitra TM

✓ महत्वपूर्ण तथ्य :

- 3 फरवरी 2020 को संसद में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2018-19 तक देश में कुल 24,010 मदरसे हैं, जिसमें से 14,528 (लगभग 61%) मदरसे उत्तर प्रदेश में है।
- उत्तर प्रदेश में कुल मदरसों में से 11,621 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं।
- 2023 में लगभग 1.69 लाख छात्रों ने UP मदरसा शिक्षा बोर्ड की कक्षा–10 (समकक्ष) एवं कक्षा–12 (समकक्ष) की परीक्षाओं में भाग लिया।

TM
Result Mitra